

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित व्याख्याता कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा में व्याख्याता कॉलेज शिक्षा संस्कृत के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में संबंधित कार्मिक से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रसं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	कुलदीप शर्मा राबाउमावि गुडामालानी, बाड़मेर	संस्कृत	30.03.1982	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ1(23-15) आरपीएसरी / एपीपीएल / एचआरडी / 2017 / 921 दि. 23.12.19
2	ममता गंगवाल राउमावि सिरोही, आमेर, जयपुर	संस्कृत	05.04.1988	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ1(23-15) आरपीएसरी / एपीपीएल / एचआरडी / 2017 / 921 दि. 23.12.19

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्हित / प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(हिमांशु गुप्ता)
I.A.S

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा / संस्था / सी-1 / एनओसी / अंग्रेजी-संस्कृत / 2019 दिनांक :-
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

26/12/19

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. सिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता / एसीआर / एबी / संरथापन सी-2 (ओएसी प्रभाग)
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर